



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04-02-2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित धोखाधड़ी व गबन के अभियुक्त विनोद पुत्र जयकरण के रिहायशी दो मंजिला मकान जिसकी कुल वर्तमान कीमत लगभग 30000000/- (3 करोड) रूपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया ।

### कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आज दिनांक 04.02.2025 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 645/24 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त विनोद पुत्र जयकरण निवासी कोर्ट रोड आदर्श कालौनी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत मूल निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत के द्वारा अपराधिक कृत्यों एवं समाज



विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त होकर अनुचित तरीके से अर्जित धन से दो मंजिला एक मकान कोर्ट रोड आदर्श कालौनी गली नं0 6 करबा बागपत पर निर्माण कराया गया, जिसकी कुल वर्तमान कीमत लगभग 30000000/- रूपये (03 करोड) को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत द्वारा कुर्क किया गया तथा जब्त सम्पत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया ।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

- रिहायसी दो मंजिला मकान कोर्ट रोड आदर्श कालौनी गली नं0 6 कस्बा बागपत में निर्माण, कीमत करीब 30000000/- रूपये (03 करोड) ।

**अभियुक्त विनोद पुत्र जयकरण का आपराधिक इतिहास-**

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	645/24	2(ख)1/3 गैंगस्टर अधि0	बागपत	बागपत
2	616/23	420/406/506 भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
3	664/23	420/406/506/467/468/471/120बी भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
4	735/23	420/406/504/506 भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
5	781/23	420/406 भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
6	790/23	420/406 भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
7	839/23	धारा 420/406/506 भादवि थाना बागपत	बागपत	बागपत
8	632/23	406/420/504/506 भादवि	ठाकुरगंज	लखनऊ
9	329/24	328/406/420/504/506 भादवि	बागपत	बागपत
10	395/24	323/406/504/506 भादवि	बागपत	बागपत
11	398/24	120बी/323/406/420/504/506 भादवि	बागपत	बागपत
12	1013/24	406/420/506 भादवि	बागपत	बागपत
13	1030/24	147/323/406/504/506 भादवि	बागपत	बागपत



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

आरोपी संजीव को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 02 माह 07 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2002 में अभियुक्त संजीव पुत्र बलजोर निवासी खोब्बा पट्टी महावतपुर थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 481/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा10 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.02.2025 को मा10 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजीव को दोषी पाते हुए 02 माह 07 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना दोघट

दिनांक-04.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, एक पैस व 650 रुपये नगद बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, एक पैस व 650 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र स्व० कंवरपाल सिंह निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक सट्टा पर्ची ।
- एक पैस ।
- 650 रुपये नगद ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० उ०नि० मोहित कुमार थाना दोघट बागपत ।

2-ह०का० 464 सुधार कुमार थाना दोघट बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
जनपद बागपत

दिनांक 04.02.2025

**बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सतपाल पुत्र पदम निवासी ग्राम फतेहपुर पुडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-प्रमोद पुत्र मूलचन्द निवासी करबा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।